भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3776

21 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों द्वारा बैंकिंग सेवाओ पर प्रतिबन्ध

3776. प्रोफेसर सौगात राय:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आरबीआई द्वारा सहकारी समितियों की बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश के कारण उन्हें हुई समस्याओ पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कदमो से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): आरबीआई ने कुछ सहकारी समितियों के द्वारा उनके नाम में "बैंक" शब्द का उपयोग करने तथा गैर- सदस्यों/नाममात्र के सदस्यों/एसोसिएट सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करने, जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) के प्रावधानों के उल्लंघन में बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने के समान है, के संबंध में लोगों को सावधान करने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।

चेतावनी नोटिस का उद्देश्य क़ानून के उल्लंघन को रोकना है और इसे जनहित में जारी किया गया है।

*****